



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 993-दो/2007

जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-03-2017	<p>उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ प्रकरण का अवलोकन से स्पष्ट है कि बंदोबस्त में हुई त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर उपखण्डीय अधिकारी द्वारा आवेदक स्वीकार कर बंदोबस्त में हुई त्रुटि को सुधारने के आदेश दिये हैं। उपखण्डीय अधिकारी के आदेश को अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि बंदोबस्त के पूर्व से अनावेदक का स्वत्व व हक है तो त्रुटिवश यदि अभिलेख में कोई भिन्नता आ जाती है तो उसका सुधार करना शासन का प्रथम दायित्व है। यदि शासन के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो किसी व्यक्ति के आवेदन पर सुधार किया जाता सकता है। अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 21-3-2007 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	

(एस0एस0 अली)  
सदस्य